समाहरणालय मधेपुरा

(जिला योजना इकाई)

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना 05/2017–18

माननीय स0वि0प0 डॉ0 एन0 के0 यादव द्वारा अनुशंसित बेंच एवं डेस्क आपूर्ति की योजना हेतु मुहरबंद तकनीकी एवं वित्तीय निविदा दो अलग–अलग सीलबंद लिफाफों में आमंत्रित किया जाता है। टंकित एवं मुहरबंद निविदा दिनांक 21.07.2017 के 12 बजे मध्यहान् तक जिला योजना कार्यालय, मधेपुरा में प्राप्त की जायेगी एवं उसी दिन अपराहन् 04 बजे जिला स्तरीय क्रय समिति के सदस्यों एवं उपस्थित निविदादाताओं/अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष सभी प्राप्त टंकित मुहरबंद निविदाओं को खोली जायेगी। निविदा की शर्ते मधेपुरा जिला के वेबसाईट http://Madhepura.bih.nic.in से प्राप्त की जा सकती है।

आपूर्ति की जानेवाली बेंच एवं डेस्क साईज एवं विशिष्टिया निम्नवत है।

उपस्कर का नाम एवं पता	आकार	विशिष्टियाँ	अधिकतम मूल्य
2	3	4	5
बेंच–(शीशम की लकड़ी का फेम एवं आम की लकड़ी का पटरा)	60 इंच X 18 इंच X 10 इंच	(i) पौवा 18 इच X 02 इंच X 02 इंच –चार (ii) पाशी 60 इंच X 03 इंच X 01 इंच –दो (iii) साईड पाशी 07 इंच X 3 इंच X 1 इंच –तीन (iv) गज 07 इंच X 1.5 इंच X 1 इंच –दो (v) पटरा–आम 60 इंच X 10 इंच X 1 इंच –एक	एक बेंच+ एक डेस्क के लिए= 3000/– (तीन हजार)
डेस्क–(शीशम की लकड़ी का फेम एवं आम की लकड़ी का पटरा)	60 इंच X 30 इंच X 14 इंच	(i) पौवा 30 इंच X02 इंच X 02 इंच –चार (ii) पाशी 60 इंच X 03 इंच X 01 इंच–दो (iii) साईड पाशी 10 इंच X 4 इंच X 1 इंच –तीन (iv) गज 12 इंच X 1.5 इंच X 1 इंच –दो (v) पटरा–आम 60 इंच X 10 इंच X 1 इंच –एक (vi) पटरा–आम 60 इंच X 10 इंच X 1 इंच –एक	
बेंच– (लोहे का फेम चौकोर 16 गेंज, सवा इंच एवं आम की लकड़ी का पटरा)	60 इंच X 18 इंच X 10 इंच	(i) पौवा 18 इंच Xसवा इंच Xसवा इंच –चार (ii) लेग सहित पाशी 60 इंच X सवा इंच X सवा इंच–तीन (iii) साईड पाशी 07 इंच X सवा इंच X सवा इंच–तीन (iv) पटरा–आम 60 इंच X 10 इंच X 1 इंच –एक	
डेस्क– (लोहे का फेम चौकोर 16 गेंज, सवा इंच एवं आम की लकड़ी का पटरा)	60 इंच X 30 इंच X 10 इंच	(i) पौवा 30 इंच Xसवा इंच Xसवा इंच –चार (ii) लेग सहित पाशी 60 इंच X सवा इंच X सवा इंच–तीन (iii) साईड पाशी 10 इंच X सवा इंच X सवा इंच–पाँच (iv) पटरा–आम 60 इंच X 10 इंच X 1 इंच –एक (v) पटरा–आम 60 इंच X 10 इंच X 1 इंच –एक	एक बेंच+ एक डेस्क के लिए= 3000/– (तीन हजार)

03.07.17

जिला योजना पदाधिकारी
मधेपुरा ।

निविदा की शर्त्ते

1. निविदा के साथ प्रतिभूति की 25,0000/–पचीस हजार रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा अस्वीकृत होने के उपरांत बैंक ड्राफ्ट संबंधित को वापस कर दिया जायेगा।
2. निविदा के साथ अद्यतन जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण पत्र एवं निर्धारित मानदंड के अनुसार अद्यतन प्रतिवेदन।
3. निविदा के साथ निविदादाता को अधतन् आयकर संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा के साथ आयकर विभाग से निर्गत PAN/TAN की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4. निविदादाताओं को विगत तीन वर्षो का आयकर चुकता प्रमाण पत्र एवं अंकेक्षण प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाता द्वारा संबंधित फॉर्म के काली सूची में दर्ज नही रहने संबंधी शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा ।
6. निविदादाताओं द्वारा सभी प्रमाण पत्र की मूल/अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
7. निविदादाता को इस आशय का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा कि इस निविदा में अंकित सभी शर्ते निविदादाता को मान्य है।
8. सभी निविदादाता को दो प्रकार की निविदाएँ यथा तकनीकी एवं वित्तीय अलग-अलग लिफाफे में मुहरबंद/सीलबंद कर अलग-अलग समर्पित करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त शर्तो के अनुरूप सभी वांछित प्रमाण पत्र/कागजात तकनीकी निविदा में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. जिन निविदादाताओं के तकनीकी निविदा में सभी वांछित प्रमाण पत्र/कागजात होगा उन्ही निविदादाता के वित्तीय निविदा पर विचार किया जायेगा, शेष निविदादाता के वित्तीय निविदा को नहीं खोला जायेगा
10. निविदा खोलते समय निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।
11. निर्गत आपूर्ति आदेश के आलोक में आपूर्ति किये गये सामग्रियों की जाँच महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा के भौतिक सत्यापन/जाँच संबंधी प्रमाण पत्र के आधार पर उपलब्ध कराये गये सामग्रियों को स्वीकार किया जायेगा, अन्यथा आपूर्ति आदेश रदद् कर दी जायेगी एवं प्रतिभूति की राशि जब्त कर ली जायेगी ।
12. निविदादाता को किसी प्रकार का परिवहन व्यय देय नहीं होगा ।
13. स्वीकृत न्यूनतम दर पर संबंधित निविदादाता/आपूर्तिकर्ता के साथ एकरारनामा करने के उपरांत आपूर्ति आदेश निर्गत किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को कोई अग्रिम राशि देय नही होगा। आपूर्तिकर्ता को संबंधित विधालयों में बेंच एवं डेस्क आपूर्ति करना होगा, जिसके लिए उन्हें कोई परिवहन व्यय/अन्य व्यय देय नही होगा ।
14. बेंच-डेस्क का टॉप आम का पटरा क्रय करने के समय लकड़ी सुखी हो। बेंच-डेस्क में किसी प्राकर की त्रुटि हाने पर उसे तुरंत वापस करने/बदले जाने की व्यवस्था होगा।
15. किसी भी या सभी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकृत/रदद् करने का अधिकार क्रय समिति को सुरक्षित होगा ।

ह०/-

जिला योजना पदाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक 567 /जि०यो०मधेपुरा दिनांक 03/07/2017

प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0 मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। पत्र के साथ सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इसे मधेपुरा जिला के बेवसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

03.07.17

जिला योजना पदाधिकारी
मधेपुरा।